

प्रेस नोट - मॉनीटरिंग सेल जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 08.08.25

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास
धारा 137(2),65(2) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास
व 01 लाख 5000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशनुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कड़ी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाए जा रहे |ऑपरेशन कन्विकशन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रियांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना कटरा पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-42 में साक्षियों के साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना कटरा में अभि0 द्वारा वादनी की पुत्री को खिलाने के बहाने ले जाकर बलात्कार करने के आरोपी पुषपाल उर्फ हीरो पुत्र पूरनपाल नि0 हुलास नगला थाना कटरा को आजीवन कारावास एवं 01 लाख 05 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण

पुषपाल उर्फ हीरो पुत्र पूरनपाल नि0 हुलास नगला थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

घटना व सजा का विवरण

मु0अ0सं0 119/2025 धारा 137(2),65(2) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना कटरा में अभि0 द्वारा वादनी की पुत्री को खिलाने के बहाने ले जाकर बलात्कार करने के आरोपी पुषपाल उर्फ हीरो पुत्र पूरनपाल नि0 हुलास नगला थाना कटरा को आजीवन कारावास एवं 01 लाख 05 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।